

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227771

पटना, दिनांक 13/04/2015

ग्रा.वि.-14(प0)किश0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

**निबंधित**

श्री पंकज कुमार गुप्ता (1541/04),  
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी।  
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज सदर, किशनगंज)

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप किशनगंज सदर प्रखंड (जिला-किशनगंज) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
79.65905	₹ 109132.9

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 79.65905 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव



1 2012 30 11/10

*[Handwritten signature]*

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

श्री. अ. शर्मा, जूनियर, जूनियर सिक्यूरिटी ऑफिसर

20/11/12

(Amita Sharma)  
Jr Security

श्री. अ. शर्मा, जूनियर  
जूनियर सिक्यूरिटी ऑफिसर

Yours faithfully,

8. In light of the above, you are requested to address these issues and request the authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the Government may also be intimated to this Ministry.

7. The SGRV and the NFWP will be closed with the end of the financial year. There would be a budget head only for the SGRV.

6. The implementation of works under the SGRV amounts 50% for Green Panchayat. This is in consonance with the amount under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the local departments and other Panchayat bodies. First, under SGRV, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to immediate Panchayat also mean the spirit of the Act is followed. Panchayat is implementing NREGA. Under the NFWP implementation work involve a number of agencies. In the transition period in the financial year, 10% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by itself. The works may be instructed that if new works are started this year under the NFWP, priority may be given to the Gram Panchayat.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRV and the NFWP will not be allowed next year.

3. The incomplete works under the SGRV NFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

100 days of employment which is permissible under the Act.

## जिला का नाम:- किशनगंज

जिला परिषद:- किशनगंज

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बटेश्वर पंडित (बि०प्र०से०)							
2	श्री के० सी० लाल कुमार (भा०प्र०से०)							
3	श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०)							
4	श्री राम मांडवी (बि०प्र०से०)							

पचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०/प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनगंज	5846.68	5714.44	132.24	181168.8	41536.9	139631.9	109132.9
	श्री श्यामनंदन शर्मा (1674/99)							
	श्री पंकज कुमार गुप्ता (1541/04)							
	श्री अतुल कुमार वर्मा							
	श्री मोडिचुदीन							
2	बहादुरगंज	8408.47	6883.21	1525.26	2089606.2	400472.2	1688134	509407.7
	श्री अजय कु० ठाकुर (2095/99)							
	श्री विष्णुदेव प्रसाद	6084.21	6015.36	68.85	94324.5	88515	5809.5	177627
	श्री ऋषिदेव झा							
	श्री गोपी शंकर प्र०							
4	कोचाधामन	12139.39	11699.46	439.93	602704.1	168610.4	434093.7	301623.7
	श्री अजय कु० ठाकुर (2095/99)							
	श्री नूर अहमद शिवली (1984/99)							
5	ठाकुरगंज	11897.28	11780	117.28	160673.6	219272.3	-58598.7	230273.3
	श्री सुनील कुमार (2334/99)							
	मो० मुस्ताक अहमद							
6	पोंडिया	9510.71	9112.33	398.38	545780.6	303749	242031.6	393812.8
	श्री अरुण कुमार (1742/99)							
	श्री मनोज कुमार	2805.05	2617.8	187.25	256532.5	149514.5	107018	217674
	श्री गुलाब चंद (1478/99)							
	TOTAL	56691.79	53822.6	2869.19	3930790.3	1371670.3	2559120	1939551.4